न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज0)

(बईजिलास सुरेश कुमार ओला I.A.S.)

प्रकरण संख्या 08 / 2017

दायर दिनांक 04.12.2017
फैसल दिनांक 06-05-2021

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री कमल कुमार पुत्र श्री मावजी उचित मूल्य दूकानदार सेन्टर लिम्बोड बडी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थिति

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सलाम गौरी एडवोकेट – विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर द्वारा विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत राशन प्रणाली का गेहूं डूंगरपुर से अचित मूल्य दूकान लिम्बोड बडी हेतु भेजा गया था, किन्तु उक्त दूकान तक उक्त योजना को गेहूं 172 क्विं. न पहुंचकर वापस डूंगरपुर की तरफ आने से पुलिस थाना वरदा द्वारा पकडा गया। उक्त 172 क्विं. गेहूं को जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि पुलिस थाना वरदा द्वारा दिनांक 06.09.2017 को स्टेट लेवल की नाकाबंदी के दौरान रात्रिकालीन गस्त में सागवाडा से डूंगरपुर की तरफ आते हुए ट्रक नम्बर R.J. 12 G.A. 416 को रूकवाया गया तथा उसकी तलाशी ली गई। उक्त ट्रक को नाथू पिता हकरा निवासी भण्डारिया तहसील डूंगरपुर चला रहा था ट्रक में एफ.सी.आई. सील्ड पेक्ड गेहूं के कट्टे भरे हुए पाये गये। उक्त ट्रक में एफ.सी.आई. का गेहूं भरा होने से पुलिस थाना वरदा द्वारा जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को दिनांक 07.05.2017 को सूचना देने पर उके निर्देश के अनुसरण में प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जांच हेतु पुलिस थाना वरदा पहुंचे। उक्त ट्रक नम्बर R.J. 12 G.A. 416 में क्रय विक्रय सहकारी समिति सागवाडा के डूंगरपुर स्थित गोदाम से 172 क्विं. (344 कट्टे जूट के बने) गेहूं उचित मूल्य की दूकान लिम्बोडबडी के लिये भर कर डोर स्टेप डिलीवरी के अधी[illegible] की दूकान लिम्बोड बडी तक नहीं जाकर वापस सागवाडा से डूंगरपुर की तरफ आते जिसे पुलिस थाना वरदा द्वारा डिटेन कर किया गया। ट्रक ड्राइवर नाथू पिता हकरा निवासी भण्डारिया से पुछताछ करने पर गेहूं के संबंध में कोई विधिमान्य कागजात नहीं होना पाया गया तथा ना ही कोई सन्तोषप्रद जवाब दिया गया। थोक विक्रेता गेहूं को स्टोर कीपर श्री नारायण [illegible] को तलब करने पर खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत 172 क्विं. (344 कट्टे जूट के बने) उचित मूल्य दुकान लिम्बोड बडी के लिये भेजा जाना बताया। थोक विक्रेता क्रय विक्रय सहकारी समिति सागवाडा ने चालान बिल की प्रतिया प्रस्तुत कर 172 क्विं. (344 जूट कट्टो) खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं लिम्बोड वडी के विपक्षी राशन डीलर के यहा दिनांक 06.05.2017 को ट्रक में भर कर भेजा जाना बताया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

जांच के दौरान विपक्षी उचित मूल्य दूकानदार लिम्बोड बडी को तलब कर पुछताछ करने पर गेहूं का ट्रक उसके यहा आना बताया तथा उक्त गेहूं संबंधित बिल चालान की प्रति प्रस्तुत की गई। ट्रक ड्राइवर मौके से भाग जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि उचित मूल्य दूकान लिम्बोड बडी का खाद्य सुरक्षा का गेहूं 172 क्वि. (एफ.सी.आई सिल्ड पेक कट्टे 344 निले धागे से कोटेड) ट्रक संख्या R.J. 12 G.A. 416 द्वारा डिलीवरी करने हेतु भेजा गया था। खाद्यान्न के गेहूं की डिलीवरी गन्तव्य तक नहीं कर वापस सागवाडा से डूंगरपुर की तरफ आना विपक्षी डीलर एवं ड्राइवर द्वारा मिलीभगत कर इरादतन दुर्भावनावंश एवं बदनियति से गेहूं की कालाबाजारी करना दर्शाता है। जिससे 172 क्विं. (344 कट्टे जूट के) जप्त सरकार कर राशन डीलर श्री राजेश कुमार सेन्टर वरदा-II को सुपुर्द किये। विपक्षी डीलर एवं ट्रक ड्राइवर द्वारा कारित उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियम) की शर्त संख्या 5, 8, 11 एवं कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 की धारा 6(4) का अवहेलना करने की श्रेणी में आने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(A) के तहत जप्त शुदा 172 क्वि. गेहूं राजसात करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं जवाब पेश किया गया, जो संलग्न पत्रावली है।

प्रकरण में विभागीय पेरोकार एवं वकील विपक्षी की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई। वकील विपक्षी ने प्रस्तुत जवाब को दोहराया।

जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में तथ्य प्रकट किये कि विपक्षी उचित मूल्य दूकान लिम्बोड बडी का अधिकृत डीलर है। खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत दिनांक 06.05.2017 को क्रय विक्रय सहकारी समिति सागवाडा के डूंगरपुर स्थित गोदाम से ट्रक संख्या R.J. 12 G.A. 416 में एफ. सी.आई (344 जूट के कट्टे निले धागे से सिल्ड पेक) भर कर विपक्षी की उचित मूल्य दूकन सेन्टर लिम्बोड बडी के लिये रवाना किया गया। उक्त ट्रक विपक्षी डीलर के यहां आया था किन्तु 172 क्विं. खाद्य सुरक्षा का गेहूं लिम्बोड बडी के सेन्टर पर नहीं उतारा गया। ट्रक चालाक उक्त 172 क्विं. गेहूं सागवाडा से डूंगरपुर की तरफ ले गया, किन्तु दिनांक 06.05.2017 को पुलिस थाना वरदा में स्टेट लेवल की नाकाबंदी होने से खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत 172 क्विं. से भरे ट्रक संख्या R.J. 12 G.A. 416 को रूकवाया गया एवं ट्रक चालक से पुछताछ पर कोई सन्तोष जनक जवाब एवं तत्संबंधित दस्तावेज पेश नही कर सका। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि ट्रक चालक से विपक्षी डीलर द्वारा बिल चालान की प्रति ले ली गई एवं उक्त ट्रक को राशन प्रणाली के गेहूं सहित डूंगरपुर की ओर भेज दिया। ट्रक चालक को राशन प्रणाली के खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहिए था, किन्तु उसने एवं विपक्षी डीलर की मिलिभगत वार राशन प्रणाली के 172 क्विं गेहूं की बदनियति, इरादतन एवं दुर्भावनावश कालाबाजारी करने हेतु डूंगरपुर की तरफ वापस भेजना विपक्षी डीलर की पूर्व नियोजित योजना को दर्शाता है। विभागीय पेरोकार ने यही भी कथन किया कि दिनांक 06.05.2017 को स्टेट लेवल की नाकाबंदी नहीं हो तो विपक्षी डीलर खाद्य सुरक्षा के गेहूं की कालाबाजारी करने में सफल हो जाता, किन्तु पुलिस थाना वरदा द्वारा उक्त खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत 172 क्विं. गेहूं से भरा ट्रक नम्बर R.J. 12 G.A. 416 को डिटेन कर लिया गया। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि विपक्षी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियम) की शर्त एवं कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 की धारा 6 (4) की अवहेलना की जाने से जप्त शुदा 172 क्विं. (344 जूट के कट्टों में) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (A) के तहत राजसात करने का अनुरोध किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Olla
Date: 2021.07.14 14:03:30 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि विपक्षी लिम्बोड बडी उचित मूल्य दूकान का अधिकृत डीलर है। दिनांक 06.05.2017 क्रय विक्रय सहकारी समिति सागवाडा के डूंगरपुर स्थित गौदाम से लिम्बोड बडी की उचित मूल्य सेन्टर पर पहुंचाने हेतु खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत गेहूं 172 क्विं. (344 जूट के कट्टे निले धागे से सिल्ड पेक) ट्रक नम्बर R.J. 12 G.A. 416 में भर कर रवाना किया गया था। ट्रक चालक उक्त राशन प्रणाली का गेहूं लेकर सागवाडा धर्मकांटा पर रूका था। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि सागवाडा स्थित धर्मकांटा पर वाहन चालक द्वारा गेहूं से भरे ट्रक को रोकने पर वहां कुछ शरारती तत्वों द्वारा ट्रक चालक श्री नाथू के साथ झगडा किया तथा पथराव कर ट्रक के कांच फोड दिये। शरारती तत्वों द्वारा उक्त कारित घटना से ट्रक चालक डर के मारे राशन के गेहूं लिम्बोड बडी सेन्टर की ओर न जाकर वापस डूंगरपुर की ओर आ रहा था। ट्रक चालक को डर था कि वह राशन के गेहूं को लिम्बोड बडी पहुंचानें जाता तो शरारती तत्व उसके साथ मारपीट करते। उक्त गेहूं से भरे ट्रक को डूंगरपुर की तरफ वापस आते समय सटेट लेवल की नाकाबंदी के दौरान पुलिस थाना वरदा द्वारा डिटेन किया गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि पुलिस थाना वरदा में ट्रक चालक द्वारा उक्त घटना की जानकारी दे दी गई थी तथा समस्त कागजात भी ट्रक चालक द्वारा पुलिस को सुपुर्द किये गये थे। विपक्षी डीलर को ट्रक चालक श्री नाथू ने गेहूं से संबंधित कोई बील, चालान आदि नही दिया जाना विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया। विपक्षी पिछले 18–19 वर्षो से लिम्बोड बडी उचित मूल्य की दूकान का डीलर हे तथा पुरी इमानदारी एवं निष्ठा से राशन वितरण करता है। ग्रामवासियों का भी उनके विरूद्ध राशन वितरण में अनियमितता का कोई आरोप नहीं है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मात्र शरारती तत्वों द्वारा ट्रक चालक श्री नाथू से सागवाडा धर्मकांटा पर झगडा करने तथा ट्रक के कांच फोड देने से ही डर के मारे ट्रक अपने गन्तव्य लिम्बोड बडी उचित मूल्य दूकान तक नही जाकर वापस डूंगरपुर की तरफ आने से विपक्षी की राशन के गेहूं की कालाबाजारी करने की कोई नियत अथवा दुर्भावना नहीं थी। केवल झूठे तथ्यों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना नियम विरूद्ध है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर जप्त शुदा गेहूं वापस विपक्षी को लोटाने हेतु विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया।

हमारे द्वारा पक्षकारो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी लिम्बोड बडी उचित मूल्य दूकान का अधिकृत डीलर है। दिनांक 06.05.2017 को क्रय विक्रय सहकारी समिति सागवाडा के डूंगरपुर स्थित गोदाम से ट्रक संख्या R.J. 12 G.A. 416 में 172 क्विं. (344 जूट के कट्टे निले धागे से सिल्ड पेक) गेहूं विपक्षी डीलर के राशन केन्द्र पर पहुंचाने हेतु भेजा गया था। सागवाडा शरारती तत्वों द्वारा ट्रक चालक श्री नाथू पिता हकरा निवासी भण्डारिया के साथ झगडा करना एवं ट्रक के कांच फोड देने के तथ्य विपक्षी द्वारा काल्पनिक सृजित तथ्य है। यदि सागवाडा धर्मकांटा स्थित असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रक चालक से झगडा कर ट्रक के कांच फोड दिये गये तो सागवाडा पुलिस थाने में घटना की जानकारी देकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो ट्रक चालक अथवा विपक्षी के द्वारा न देकर अपनी स्वेच्छा से राशन प्रणाली के गेहूं वापस डूंगरपुर की तरफ आना विधि विरूद्ध है। विपक्षी अथवा ट्रक चालक द्वारा पुलिस थाना सागवाडा में घटित घटना की रिपोर्ट पेश नहीं करना एवं गेहूं से भरे ट्रक को वापस डूंगरपुर की तरफ जाना दुषित मानसिकता, दुर्भावना, एवं गेहूं की कालाबाजारी करने की नियति को प्रमाणित करता है। ट्रक चालक द्वारा गेहूं के बिल, चालान पुलिस थाना वरदा के उक्त ट्रक डिटेन करने पर दिये जाने के भी तथ्य झूठे प्रकट किये गये है। दिनांक 07.05.2017 को विपक्षी स्वयं ने जांच के दौरान बताया की ट्रक उसी के यहां आया था तथा गेहूं के बिल चालान की प्रतियां उनके द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

की गई है। ट्रक विपक्षी डीलर के यहां आना जांच में पाया गया है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान प्रकट किये गये तथ्य काल्पनिक होकर अविश्वसनीय एवं प्रमाण रहित पाये गये।

प्रकरण में दिनांक 20.12.2017 को वर्षा ऋतु समाप्ती पर जप्त शुदा गेहूं खराब होने की सम्भावना के कारण पक्षकार की सहमति से जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिकृत विक्रेता के द्वारा विक्रय करा प्राप्त राशि को अमानत पेटे जिला रसद कार्यालय में अन्तिम निर्णय तक जमा रखने के आदेश दिये गये है। विपक्षीगण द्वारा उक्त अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 11 एवं कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 की धारा 6(4) का उल्लंघन किया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 20.12.2017 द्वारा जप्त शुदा गेहूं 172 क्विं. (344 जूट के कट्टे) अन्तरिम आदेश द्वारा विक्रय से प्राप्त राशि को यथावत रखते हुए सक्षम न्यायालय के निर्णय तक अपने कार्यालय में अमानत के तौर पर जमा रखे जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को पालना हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-05-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)